मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक /F-11-7/नियम/2016 भोपाल दिनांक 02/09/2016

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव,
समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष / समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्य प्रदेश.

विषय :- सायबर कोषालय के तहत चालान जमा करने एवं रिफण्ड करने की प्रक्रिया।

संदर्भ :- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक /F-11-7/नियम/2016 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2016।

संदर्भित परिपत्र से सायबर कोषालय के माध्यम से राशि जमा करने / रिफण्ड करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं तद्नुसार 01 सितम्बर 2016 के पश्चात रूपये 10,000/- (दस हजार) से अधिक की राशियां भौतिक चालान से जमा किये जाने की प्रक्रिया समाप्त की गई है।

2/ उपर्युक्त संबंध में विभिन्न विभागों के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कतिपय स्वरूप के प्रकरणों में इन्टरनेट बैंकिंग से राशियां जमा करने की प्रक्रिया से विभागीय अधिकारियों को अवगत कराने, साफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन / परिवर्तन / परिवर्धन / निर्माण तथा इस हेतु लेखांकन की प्रक्रिया आदि विकसित करने में कुछ समय लगना संभावित है।

3/ अतः उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुये संदर्भित परिपत्र की प्रयुक्तता दिनांक 30 सितम्बर 2016 तक के लिये स्थगित की जाती है। अनुरोध है कि उपर्युक्त समयावधि दिनांक 30 सितम्बर 2016 तक आवश्यक व्यवस्थाएं, प्रणाली, प्रक्रिया आदि विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। वित्त विभाग का पत्र क्रमांक /F-11-7/नियम/2016 दिनांक 01/09/2016 से वाणिज्यिक कर विभाग के लिये दिनांक 31/12/2016 तक की दी गई शिथिलता यथावत रहेगी।

4/ यह स्पष्ट किया जाता है कि संदर्भित आदेश उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों तथा लोक लेखा से संबंधित राशियां यथा; सिविल कोर्ट डिपाजिट, पर्सनल डिपाजिट, वर्क्स डिपाजिट, के डिपाजिट आदि जमा करने पर लागू नहीं है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरूद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक /F-11-7/नियम/2016 भोपाल दिनांक 02/09/2016

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम / द्वितीय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर,
2. रजिस्ट्रार जनरल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर,
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म. प्र. भोपाल
4. उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, म. प्र. भोपाल,
5. उप महाप्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, म. प्र. भोपाल,
6. उप महाप्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, म. प्र. भोपाल,
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश,
8. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश

(अनिरूद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग